न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 411/2023 GCMS No.—2023/477

रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरू जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दनाउ खुर्द, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भैरू
2. रामकिशोर पुत्र भैरू
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दनाउ खुर्द तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
4. पटवारी हल्का दनाउ कलां, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय आदेश तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर आदेश कमांक भू.अ./2023/1286 दिनांक 13.07.2023

उपस्थितः—

1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा, राजकुमार शर्मा रेस्पा0 संख्या 1 एवं 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20.06.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, तूंगा के निर्णय दिनांक 13.07.2023 जिससे ग्राम दनाउ खुर्द, तहसील तूंगा स्थित भूमि खाता संख्या 126 कुल किता 5 कुल रकबा 9.72, खाता संख्या 122 कुल किता 1 कुल रकबा 1.3024, खाता संख्या 125 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1391 के तकासमा आदेश किये गये से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.11.2023 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी लाल शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या— 3 व 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स ग्राम दनाउ खुर्द स्थित अपीलाधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज करते हुए अपीलांट से अपीलाधीन भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की कहकर अपीलांट से सहमति से विभाजन हेतु विभाजन पत्र प्रोफार्मा पर साईन करवा लिये जबकि अपीलांट को उक्त विभाजन पत्र को पढकर नहीं सुनाया और दोनो भाईयों ने आपस में जालसाजी कर सीमा ज्ञान करवाने की बात कहकर विभाजन पर साईन करवा लिये। अपीलांट कम पढा लिखा एवं बुर्जुग व्यक्ति

है। रेस्पा0 संख्या 3 व 4 ने बिना मौका देखे केवल मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के आधार पर भूमि का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत किया है। हाल ही में अपीलांट अपने पुत्र के साथ सिंचाई पाईप लाईन की सब्सिडी आवेदन के लिये ई–मित्र से जमाबंदी की नकल व नक्शा निकलवाया तब अपीलांट को इस शामलाती भूमि के रकबे के घट जाने का व नक्शे में परिवर्तन हो जाने का पता चला। अपीलांट व उसका पुत्र तहसील कार्यालय दिनांक 27.10.2023 में गये एवं उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी की नकल अन्य दस्तावेज निकलवाए जिस पर अपीलांट को उक्त भूमि के विभाजन की जानकारी हुई। इसके पश्चात अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर नक्शे के विपरीत जाकर शामलाती भूमि का रकबा जो खसरा नंबर 14/1 में 2855 वर्गमीटर है उसे घटाकर 2073 वर्गमीटर कर दिया। जिससे अपीलांट के खेतो तक जाने वाला रास्ता चौडाई में सिकुड कर 5 फुट ही रह गया है। अपीलांट के खेत में काश्त के लिये कोई वाहन इत्यादि नहीं जा सकते है। अपीलांट का टयूब वेल जो चालू हालत में है जो 2000 फीट भूमिगत पाईप लाईन थी व 800 फीट ड्रीप लाईन थी वह अन्य खातेदार रेस्पाडेन्ट के हिस्से में चली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर तकासमा आदेश पारित किया है। रेस्पाडेन्ट्स ने तहसीलदार व हल्का पटवारी से मिलीभगत कर बिना अपीलांट को सूचित किये मनमानी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर विभाजन पत्र तस्दीक किया गया है। अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर रेस्पाडेन्ट के खाते मे दर्ज कर दी गयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूंगा का तकासमा आदेश दिनांक 13.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 2 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा आदेश नियमानुसार ही पारित किया है। विभाजन पत्र पर अपीलांट रामेश्वर के हस्ताक्षर है एवं अपीलांट ने विभाजन पत्र पर सहमति प्रदान की है। रामेश्वर अनपढ नहीं है एवं अपील मीमो एवं तकासमा पत्रावली पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। अपीलांट का पुत्र विभाजन के समय उपस्थित था। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की है अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश तहसीलदार तूंगा द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए शुल्क जमा कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट के हिस्से में बने हुए बोरिंग, टयूबवेल आदि रेस्पा0 के हिस्से मे आ जाने से अपीलाधीन तकासमा आदेश निरस्त किया जावे। परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट के हिस्से की भूमि एवं बोरिंग, टयूबवेल आदि तकासमा आदेश के उपरान्त रेस्पाडेन्ट्स के हिस्से में चले गये। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष पैमाईश/सीमा ज्ञान संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। सीमा ज्ञान/पैमाईश के संबंध में पक्षकारान सक्षम स्तर पर आवेदन कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट के मध्य मौके पर कब्जे की स्थिति के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु पक्षकारान द्वारा सहमति प्रस्तुत की गयी थी, एवं अपीलांट के तकासमा आवेदन, विभाजन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर तहसीलदार तूंगा द्वारा राजस्थान काश्तकारी की अधिनियम की धारा 53 (2) (1) अनुसार खातेदार काश्तकारो की सहमति के आधार पर तकासमा आदेश दिनांक 13.07.2023 को पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना जाहिर होता है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है, इसलिए अपीलाधीन तकासमा को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर